19/3/25

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नही होने से मूल वाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र (आवेदन पत्र) इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डाबिले दफ्तर हो एवम् नस्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.15 17:25:06 IST
Reason: SelfAttested